सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 278 राँची, शुक्रवार, 29 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

18 मई, 2026

संख्या-5/आरोप-1-67/2018 का०-2969--श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-432/स्था०, दिनांक 05.07.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध तैतालिस (43) बैंक अन्तरण द्वारा कुल छः करोड़ अड़तालीस लाख रूपये (6,48,00,000 रूपये) की अनधिकृत रूप से निकासी करने, दिनांक 02.11.2017 को अग्नि कांड में रोकड़ पंजी एवं चेकबुक जलने की सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं देने, अग्नि कांड के पश्चात् पूर्व से संचालित12 (बारह) बैंक खातों के विरूद्ध मात्र 03 (तीन) बैंक खाते की राशि को दर्ज कर नया रोकड़ पंजी खोलने, छात्रवृति मद में प्राप्त राशि गलत तरीके

से नाजिर के पारिवारिक सदस्यों के खाते में अंतरित करने एवं श्री मिथलेश मिश्र, (सेवानिवृत), प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, चतरा पर एक करोड़ तैतीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ रूपया (1,33,53,516/-) पूर्व से ही समायोजन हेतु लंबित रहने के बावजूद श्री कुमार द्वारा श्री मिश्र को नियम विरूद्ध तरीके से अठान्बे लाख चौतीस हजार एक सौ छियालीस रूपये (98,34,146/-) अग्रिम देने सहित कुल-8 आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-1071(HRMS), दिनांक 25.07.2018 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया तथा संकल्प सं0-434 (HRMS), दिनांक 05.02.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-135, दिनांक 06.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री कुमार विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 9203, दिनांक 20.11.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। परन्तु इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित न कर अपने पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर लगाये गये आरोपों के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के आलोक में आपराधिक न्यायालय के निर्णय आने तक मामला स्थगित रखने एवं निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

5. समीक्षोपरांत श्री कुमार के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उक्त दण्ड अधिरोपण के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची एवं मंत्रिपरिषद् के स्वीकृति उपरांत विभागीय संकल्प सं0-1490 (HRMS), दिनांक 10.02.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त किया गया।

6. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-6888, दिनांक 17.10.2024 द्वारा विभागीय संकल्प सं0-1490 (HRMS), दिनांक 10.02.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् अधिरोपित "सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड" को यथावात् रखा गया।

7. उक्त बर्खास्तगी के दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(S) No. 1107 of 2021 Ashutosh Kumar Vs. State of Jharkhand & Ors. दायर किया गया।

8. W.P.(S) No. 1107 of 2021 Ashutosh Kumar Vs. State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 09.04.2026 को पारित न्यायादेश में श्री कुमार पर अधिरोपित दण्ड, जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा संबंधी पत्र को निरस्त करते हुए मामले को विभाग को वापस किया गया है। साथ ही, न्यायादेश पारित होने की तिथि से छः माह के अंदर नियमानुसार नये सिरे आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 09.04.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"2. At the outset, learned counsel for the petitioner submits that the impugned order of termination suffers from procedural irregularities in view of the fact that no oral witness has been examined and the documents which has been relied by the respondent-authorities was not kept for ordinary course of business; as such, as per the settled law, due to want of examination of oral witness, the impugned order is vitiated.

3. Learned counsel for the respondents submits that grave charge of defalcating Rs. 6.00 crores approx. was levelled against the petitioner and other co-accused. However, he fairly admits after going through the charge-sheet that oral witness has not been examined and the punishment order has been issued on the basis of different reports of internal enquiries and as such, he submits that, at best, the matter may be remitted back and some time may be given to the respondent-authorities so that the fresh order shall be passed by curing the procedural irregularities committed earlier.

4. Having regard to the aforesaid submissions, without going into the merits of the case, the impugned order dated 10.2.2021 (Annexure-8) and inquiry report dated 6.6.2019 along with second show cause notice vide letter no. 9203 dated 20.11.2019 (Annexure-6 series) are quashed and set aside on the ground that it suffers from procedural irregularities, inasmuch as, now it is settled principle of law that any document/charge has to be proved by oral witness and the enquiry officer has to act as an Umpire and not as the representative of the department.

5. However, looking to the gravity of charge and also after considering the submission of the respondent-State, the matter is remitted to respondent no. 4 with a direction to proceed in accordance with law and

applicable rules and regulations and thereafter, pass a fresh order within a period six months from the date of receipt/production of a copy of this order.

6. Accordingly, the instant writ application stands disposed of."

9. अतः W.P.(S) No. 1107 of 2021 Ashutosh Kumar Vs. State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 09.04.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है

(i) श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-1490(HRMS), दिनांक 10.02.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को विलोपित किया जाता है।

(ii) झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 (5) के आलोक में सेवा से बर्खास्त किये जाने की तिथि दिनांक 10.02.2021 से श्री आशुतोष कुमार को निलंबित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 278 - 50